

पत्र संख्या : ८२/४७००-य०० ज०सं०-०१/१२ - ८२

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रशासक / मुख्य अभियंता, चांडिल / ईचा-गालूडीह स्वर्ण रेखा परियोजना;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : १९-८-१२

विषय :- मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अंतर्गत योजना मुख्य शीर्ष-४७००-वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-७९६-जन जातीय क्षेत्रिय उपयोजना, उप शीर्ष-०९-स्वर्ण रेखा परियोजना ए.आई.बी.पी. विस्तृत, शीर्ष-०५-निर्माण, ४५-मुख्य निर्माण कार्य; विपत्र कोड - ४९P470080796090545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७००-वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये विभिन्न लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-२ में वर्णित मदों/कार्यों के लिए आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	४९-जल संसाधन विभाग, ४७०० - वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	८०-सामान्य / ७९६- जन जातीय क्षेत्रिय उपयोजना	०९-स्वर्ण रेखा परियोजना ए.आई.बी.पी. / ०५-निर्माण, ४५ - मुख्य निर्माण कार्य; विपत्र कोड - ४९P470080796090545	1725.37988

आवंटित राशि - ₹ सतरह करोड पचीस लाख सैतीस हजार नौ सौ अठासी मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु. ७०००.०० लाख (सतर करोड) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक १/पी. एम. सी./कार्य/४०४/०६(पार्ट-II)१९/१०-११ प्र. स्वी.; राँची, दिनांक: १४.१०.१० द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति; सक्षम प्रधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिषेन्ट्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता(सुबोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
 8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
 9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
 10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
 11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
 12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
 13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
 14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।
- नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
- अनु. :- यथोक्त

८१
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- ८१

रॉची, दिनांक :- १९ - २ - १२

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसौवा/ईचा-गालूडीह/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

८२
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- ८२

रॉची, दिनांक :- १९ - २ - १२

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, /योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॅच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

८३
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

प्रांक :- ८२ दिनांक १९-८-१२

का अनुलग्नक

परिशिष्ट-१

मांग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष - 4700 वुहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य

लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्रिय उपयोजना

उप शीर्ष - 09-सुवर्णरेखा परियोजना (ए०आई०बी०पी०)

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49P470080796090545
बजट उपबंध वर्ष 2012-13 में रु० 7000.00 लाख (₹ सतर करोड) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमाणित का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			
				पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लघु वितरणी प्र० सं०-७, गालूडीह			0.00000	306.02210	306.02210	
2	लघु वितरणी प्र० सं०-५, डिमना, जमशेदपुर			0.00000	180.00000	180.00000	
3	लघु वितरणी प्र० सं०-१२, मानगो, जमशेदपुर			0.00000	501.35778	501.35778	
4	सुवर्णरेखा नहर प्र०, धाटशिला			0.00000	50.00000	50.00000	
5	बराज प्रमाणित, गालूडीह			0.00000	688.00000	688.00000	
			योग	0.00000	1725.37988	1725.37988	

आवंटित राशि : ₹ सतरह करोड पचीस लाख सैतीस हजार नौ सौ अठास्सी मात्र।

मांग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग
(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुलोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(एस० कें० शातपथी)
प्रधान सचिव

मोंग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष - 4700 वुहत सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य,
लघु शीर्ष - 796-जन जातिय क्षेत्रिय उपयोजना

उप शीर्ष - ०९-सुवर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी.)

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड - ४९P470080796090545
बजट उपबंध वर्ष 2012-13 में रु. 7000.00 लाख (₹ सत्र करोड) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	प्राक्षरणनाम सं०/तिथि	पूँजी का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लघु वितरणी प्र० सं०-७, मानगो, जमशेदपुर	सुवर्णरेखा परियोजना	1 Construction of WBM Metal Service Road from km 62.5936 to 64.945 of CLMC 2 Construction of SLR Bridge at km 95.985 & 96.545 & DLR Bridge at km. 94.580 pf CLMC 3 For B-Land of OR-45, OR-46, OR-47 & OR-48	1F2/11-12 0.00000 0.00000 0.00000	25.30000 100.00000 180.72210	25.30000 100.00000 180.72210		Work awarded by CE Letter no 1112
2	लघु वितरणी प्र० सं०-५, डिमना जमशेदपुर	सुवर्णरेखा परियोजना	1 PCC lining (filling zone) from km. 17.140 to 19.03 of CLMC 3SBD/11-12 dt. 16.01.12	0.00000 0.00000	180.00000 180.00000	180.00000 180.00000	306.02210 306.02210	
3	लघु वितरणी प्र० सं०-१२, मानगो, जमशेदपुर	सुवर्णरेखा परियोजना	1 For Construction of Riy Bridge no 86A (1*4.43M) Up & Dn 184/5-8 between Kokpara & Chakulia 2 B-Land for Land Acquisition	0.00000 0.00000 0.00000	361.11419 140.24359 140.24359	361.11419 140.24359 140.24359		
4	सुवर्णरेखा नहर प्र०, घाटशिला	सुवर्णरेखा परियोजना	1 B-Land for Land Acquisition	Total	0.00000	501.35778	501.35778	
5	बराज प्रमण्डल, गालूडीह	सुवर्णरेखा परियोजना	1 B-Land for Land Acquisition	Total	0.00000	50.00000	50.00000	
				Total	0.00000	688.00000	688.00000	
				G.Total	0.00000	1725.37988	1725.37988	
								आवाइत राशि : ₹ सत्रह करोड पचीस लाख सौ अरबी सौ मात्र।

(ओकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अधी.)

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव